

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास - श्री दामोदर सिंह, आर.ए.एस.

प्रकरण सं० :- 399/2021

दायर दिनांक :- 20.09.2021

अनवान

1. किशनलाल पिता छगना उर्फ छगनलाल भीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर
2. रामेश्वर पिता छगना उर्फ छगनलाल भीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर
3. मूलचन्द पिता भूरा भीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर
4. सूरजमल पिता भूरा भीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर
5. ईश्वर पिता भूरा भीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर
6. खेमराज पिता मोहनलाल भीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर
7. रामप्रसाद पिता मोहनलाल भीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर
8. चिंरजीलाल पिता हरचन्दा भीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर
9. गुमाना पिता सोजी भीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर
10. परमेश्वर पिता पोखर भीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर
11. श्रीराम पिता उंकार भीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर
12. बदामा पिता उंकार भीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर
13. धर्मराज पिता अणदीलाल भीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर
14. सोराज पिता रामदेवा भीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर
15. अनेक पिता रामदेवा भीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर
16. गुलाबी बेवा लाला भीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर
17. फेफा पिता रामदेवा भीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर
18. पांचू पिता रामदेवा भीणा नि. सेहलादाता तह. जहाजपुर

प्रार्थी.....

बनाम

1. भंवरलाल पिता रामकिशन भीणा नि. बोराणी तह. जहाजपुर
2. नाथू पिता भीमा भीणा नि. बोराणी तह. जहाजपुर
- 2.1 हीरा देवी पत्नि नाथू भीणा नि. बोराणी तह. जहाजपुर
- 2.2 शिवराज पिता नाथू भीणा नि. बोराणी तह. जहाजपुर
- 2.3 हजारी पुत्री नाथू भीणा नि. बोराणी तह. जहाजपुर
- 2.4 रतनी पुत्री नाथू भीणा नि. बोराणी तह. जहाजपुर
3. गुलाब पिता भीमा भीणा नि. बोराणी तह. जहाजपुर
4. ऐनजराज पिता लोडकिया भीणा नि. बोराणी तह. जहाजपुर
5. रामराज पिता लोडकिया भीणा नि. बोराणी तह. जहाजपुर
6. ऐजन पिता लोडकिया भीणा नि. बोराणी तह. जहाजपुर
7. पाना पिता लोडकिया भीणा नि. बोराणी तह. जहाजपुर
8. केशी बेवा लोडकिया भीणा नि. बोराणी तह. जहाजपुर
9. तहसीलदार जहाजपुर जिला भीलवाडा

अप्रार्थीगण.....

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क रा. टी. ए. ::

उपस्थित अभिभाषक

श्री छीतर लाल रेगर, एडवोकेट प्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने पेश कर निवेदन किया कि ग्राम बोराणी प. ह. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 1420/1 रकबा 0.03 बीघा, आ.न. 1420 रकबा 3.17 बीघा, आ.न. 1424 रकबा 01.15 बीघा, आ.न. 1421 रकबा 02.09 बीघा, आ.न. 1422 रकबा 0.19 बीघा कृषि भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी स्थित है। ग्राम बोराणी प. ह. बिन्ध्याभाटा तह. जहाजपुर जिला भीलवाडा में आ.न. 1371 रकबा 6.15 बीघा अप्रार्थी सं. 1 से 3 एवं आ.न. 1425 रकबा 0.11 बीघा अप्रार्थी सं. 1 से 7 के नाम दर्ज है। उक्त वर्णित आराजियात पर प्रार्थीगण अपने हक व हिस्सा पर काबिज काश्त है। तथा प्रार्थीगण अपने हक व हिस्से की खातेदारी भूमि में जहाजपुर देवली सडक में होते हुये आ.न. 1426/5 नगर पालिका जहाजपुर सुरक्षित चरामाह में भूमि में निकल रहा रास्ता से होते हुये आ. न. 371 से 1425 के दक्षिणी मेड पर होते हो जो नजरी नक्शा में लाल स्याही से वर्णित ए से बी रास्ता जो 13 फीट चौड़ा रास्ता है से होकर आ.न. 3830/1425 सरकारी भूमि के दक्षिणी मेड पर होते हुये आ. न. 1425/1 सिंचाई विभाग की भूमि की दक्षिणी मेड से होते हुये आ.न. 1424/1 सिंचाई विभाग की पूर्वी मेड पर निकल रहा रास्ता से होकर दक्षिणी मेड पर प्रार्थीगण अपनी आ.सं. 1424, 1421, 1420/1 कृषि भूमि में आते जाते हैं व डेक्टर, कृषि उपकरण वगैरा ले जाकर काश्त करते हैं उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं हैं परन्तु आ.न. 1371 व 1425 के खातेदार अप्रार्थी सं. 1 से 8 ने नजरी नक्शा ट्रेस में ए से बी भाग पर खम्बे गाड़कर तारों की जाली लगाकर रास्ता को अवरुद्ध कर दिया इसलिये प्रार्थीगण जहाजपुर देवली सडक मार्ग से होते हुये आ. सं. 1426/5 चरामाह भूमि में निकल रहा रास्ता से होकर आ.न. 1371 व 1425 की दक्षिणी मेड के सहारे सहारे जा रहे नजरी नक्शे में ए से बी भाग 13 फीट चौड़ा रास्ता दर्शा रखा है जो नक्शा ट्रेस में तरमीम करवा रास्ता खुलासा करवाना चाहता है तथा ऐसा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। प्रार्थीगण ने अप्रार्थी सं. 1 से 7 को वर्षों पूर्व चले आ रहे कदमी रास्ता को बन्द करने से मना किया तो मरने मारने एवं लड़ाई झगडा करने पर आमादा हुये। प्रार्थीगण के पास उक्त रास्ता के अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। यदि उक्त रास्ता को खुलासा नहीं किया गया तो प्रार्थीगण अपने खाते की जमीन पर आ जा न पायेगे, न ही कृषि कार्य कर पायेगे व न ही कृषि यंत्र ले जा सकेगे। इसलिये प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण सं. 1 में वर्णित कृषि आराजियात में जाने आने हेतु नजरी नक्शा ट्रेस में लाल स्याही से दर्शा रखा ए से बी भाग 13 फीट चौड़ा रास्ता को राजस्व रेकार्ड नक्शा लट्ठा सीट में तरमीम करवा, रास्ता किस्म दर्ज करवा रास्ता को खुलासा किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है। तथा प्रार्थी रास्ता में उपयोग की जाने वाली भूमि का प्रतिफल राशि देने को तैयार है। अप्रार्थीगण सं 1 से 8 ने माह अगस्त 2021 में कदमी समय से चले आ रहे रास्ता को खम्बे गाड़कर तारों की जाली लगाकर अवरुद्ध करने से वाद हेतुक माह अगस्त 2021 से उत्पन्न होकर निरंतर जारी है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमा कर वर्णित कृषि भूमि पर आने जाने व कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु जहाजपुर देवली सडक से होकर आराजी सं. 1426/5 चरामाह भूमि में निकल रहा रास्ता से होकर आ.न. 1371 व 1425 के दक्षिणी दिशा की मेड के सहारे सहारे जो नजरी नक्शा में ए से बी भू भाग 13 फीट चौड़ा रास्ता को राजस्व रेकार्ड में किस्म रास्ता दर्ज करा राजस्व अभिलेखों दर्ज करने का हुक्म तहसीलदार जहाजपुर को प्रदान करावे व रास्ता की भूमि का प्रतिफल प्रार्थीगण न्यायालय के आदेश से भुगतान करने हेतु तत्पर है। एवं उक्त 13 फीट चौड़ा रास्ता राजस्व जमाबंदी व राजस्व लट्ठा सीट में तरमीम कर रास्ता को खुलासा कराये जाने का आदेश प्रदान करावे।

Dr
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थीगण बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं होने से अप्रार्थीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।


प्रार्थीगण की आराजी न. 1420/1, 1420, 1424, 1421, 1422 में पहुँचने के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता है या नहीं तथा वैकल्पिक रास्ता नहीं होने की स्थिति में मार्ग में आने वाली आराजी का रकबा एवं डी एल सी दर अनुसार जाँच कर तहसीलदार जहाजपुर से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार जहाजपुर ने जरिये पत्र दिनांक 02.02.2022 से रिपोर्ट भिजवाई, जिसे शामिल फाईल किया गया। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की जौत तक पहुँचने के लिये वैकल्पिक रास्ता नहीं है। तथा प्रार्थी की जौत तक आने जाने के लिये खसरा नं. 1371, 1425 में से रास्ता देने पर 0.01 बीघा, 0.01 बीघा कुल 0.02 बीघा भूमि प्रभावित होगी। रिपोर्ट के साथ डी एल सी दर की प्रति संलग्न है।

हमने वकील प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थीगण ने बताया की प्रार्थीगण की जौत आ.न. 1420/1, 1420, 1424, 1421, 1422 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण की जौत तक पहुँचने हेतु लघुसम रास्ता आ.न. 1371, 1425 से होकर ही गुजरता है। प्रार्थीगण को अपनी कृषि जौत के उपयोग हेतु रास्ते की आंत्यातिक आवश्यकता है, अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर रास्ता राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराना फरमाये।

वकील प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया गया। तथा तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। प्रार्थी अपने आ.न. 1420/1, 1420, 1424, 1421, 1422 में आने जाने हेतु ख. न. 1371, 1425 में से रास्ता चाहते हैं। तहसीलदार जहाजपुर की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के आ.न. 1420/1, 1420, 1424, 1421, 1422 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। और प्रार्थीगण की आ.न. 1420/1, 1420, 1424, 1421, 1422 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण के आराजी सं. 1371, 1425 में आवागमन किया जा सकता है। अतः न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि प्रार्थीगण की आ.न. 1420/1, 1420, 1424, 1421, 1422 तक पहुँचने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। वैकल्पिक रास्ते के अभाव में और रास्ते की आंत्यातिक आवश्यकता होने के कारण न्यायालय प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र को स्वीकार करना उचित समझता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर टी. ए. स्वीकार किया जाता है और ग्राम बोरानी प. ह. विन्ध्यानाटा तह. जहाजपुर जिला मीलवाडा में आ.न. 1420/1, 1420, 1424, 1421 में आने जाने के लिये आ. न. 1371, 1425 से रास्ता दिया जाने का आदेश दिया जाता है। रास्ते हेतु आ.न. 1371 रकबा 0.01 बीघा, आ.न. 1425 रकबा 0.01 बीघा में से रास्ता देने पर कुल 0.02 बीघा भूमि प्रभावित होगी। तथा आ. न. 1371, 1425 में अप्रार्थीगण को रास्ते से प्रभावित रकबा 0.01 बीघा, 0.01 बीघा कुल 0.02 बीघा की एवज में डी एल सी दर की के दुगुने के हिसाब से 29512 रु. प्रतिकर देय है, जो मौके पर प्रार्थीगण अप्रार्थीगण को जमा/अदा करेंगे। उपरोक्तानुसार रास्ता दर्ज कर राजस्व नक्शा सीट पर तरमीम कर नामान्तरकरण दर्ज किया जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जावे।

निर्णय आज दिनांक 06.04.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(दामोदर सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर (मीलवाडा)